निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1938 (श0)

(सं0 पटना 563) पटना, शुक्रवार, 8 जुलाई 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

30 जून 2016

सं0 22/नि0सि0(मुज0)–06–11/2015/1235—श्री अम्बिका प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमण्डल, रून्नीसैदपुर, सीतामढ़ी को उनके पदस्थापन अवधि के दौरान निदेशक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, पटना एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर द्वारा संयुक्त रूप से विशेष भू–अर्जन कार्यालय, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर के विभिन्न परियोजनाओं में किये जा रहे भू–अर्जन कार्यों की समीक्षा की गयी। जिसमें बागमती तटबंध पुनर्वास एवं मकानमय सहन में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई लंबित रहने, निदेशक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास के साथ उदण्डतापूर्वक व्यवहार करने, सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता तथा उच्चाधिकारी की आदेश की अवहेलना इत्यादि प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 2675 दिनांक 16.12.15 द्वारा श्री भगत, कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री भगत ने अपने पत्रांक 45 दिनांक 12.01.16 द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब विभाग में समर्पित किया, जिसमें मुख्य रूप से निम्न बातें कही गयी हैः–

(i) नये भू–अर्जन अधिनियम के तहत मुआवजा भुगतान की राशि पुराने अधिनियम से अधिक है। ऐसे स्थिति में पुराने भू–अर्जन अधिनियम के तहत प्रेषित अधियाचनाओं के व्ययगत होने के तथ्यों की समुचित जॉच पड़ताल आवश्यक थी, ताकि किसी भी सूरत में सरकारी राजस्व की प्राप्ति न हो सकें। ज्ञातव्य हो कि निदेशक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, पटना के ज्ञापांक 1822 दिनांक 06.11.14 के आलोक में केवल पुराने अधिनियम की धारा–4 के नीचे चल रही कार्रवाई मामले की ही अधियाचना फिर से अधियाची पदाधिकारी से प्राप्त किया जाना है। तदनुसार वापस प्राप्त तथाकथित व्ययगत अधियाचनाओं की समीक्षा प्रमण्डलीय कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से की गयी और धारा–4 के उपर चल रहे कार्रवाई वाले सभी पुराने 48 अधियाचनाओं को प्रमण्डलीय कार्यालय के द्वारा विशेष भू–अर्जन कार्यालय, मुजफ्फरपुर को अग्रेतर कार्रवाई हेतु समीक्षात्मक तथ्य के साथ भेज दिया गया। आधिपत्य प्राप्त ग्रामों को भी विशेष भू–अर्जन कार्यालय द्वारा व्ययगत की श्रेणी में डाल दिया गया और विदित हो कि विभाग को अधिपत्य प्राप्त ग्रामों/खेसरा का भू–अर्जन हेतु पुनः अधियाचना प्रस्ताव भेजने का कोई औचित्य नहीं बनता है। फलतः प्रमण्डलीय कार्यालय के द्वारा विशेष

भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित किया गया। किन्तु विशेष भू–अर्जन कार्यालय द्वारा उक्त पत्र का संसूचित निराकरण नहीं किया गया।

ज्ञातव्य हो कि पुनर्वास से संबंधित स्थल की अधियाचना पुनर्वास पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा तैयार की जाती है। और अधिचायी पदाधिकारी रहने के कारण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित की जाती है। जिसे विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को भू–अर्जन हेतु उपलब्ध करा दी जाती है। तदनुसार विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के आदेश के आलोक में सभी अधियाचनाओं को पुनर्वास पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उपलब्ध करा दी गयी थी। किन्तु प्रमण्डलीय कार्यालय, रून्नीसैदपुर के द्वारा स्मारित करने के बाद भी मात्र 8 पुनर्वास स्थल का अधियाचना तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के साथ उपस्थापित किया गया। विदित हो कि पुनर्वास पदाधिकारी, सीतामढ़ी का नियंत्री पदाधिकारी अधोहस्ताक्षरी नहीं है।

इसी प्रकार मकानमय सहन की पुनः अधियाना हेतु सर्वेक्षण कार्य ग्रामवार जनवरी 2015 से ही प्रारम्भ किया गया। स्थल सर्वेक्षण के क्रम में कुछ ग्रामों के ग्रामीणों के पास विभिन्न धाराओं से संबंधित नोटिस पाया गया जिससे इन ग्रामों के अभिलेख व्ययगत नहीं होने का तथ्य उजागर हुआ। इन तथ्यों को प्रमण्डलीय कार्यालय के द्वारा विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी को अवगत कराया गया एवं आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

विदित हो की जुलाई–अगस्त उच्च बाढ़ अवधि का समय है। उस अवधि में सर्वेक्षाणाधीन स्थल नदी के किनारे अवस्थित रहने और वर्षापात के कारण जलमग्न रहता है। फलतः कार्य की प्रगति स्वाभाविक रूप से धीमी रहती है। साथ ही प्रारम्भ किये गये सर्वेक्षण के मध्य में विभिन्न धाराओं के नोटिस मिलने पर व्ययगत नहीं होने की संभावना के मद्धेनजर सर्वेक्षण कार्य रोकना पड़ा। स्पष्टतः मेरे द्वारा विभागीय निदेश का अनुपालन नियमानुकूल और सावधानीपूर्वक किया गया तथा कार्य में कोई उदासीनता नहीं बरती गयी है। अतः आरोप को मुक्त किया जाय।

(ii) मेरे द्वारा निदेशक महोदय भू–अर्जन एवं पुनर्वास के साथ शिष्टापूर्वक व्यवहार किया गया और किसी प्रकार का कोई अनावश्यक वाद–विवाद नहीं किया गया। मेरे द्वारा सिर्फ तथ्यपरक बातों को रखी गई। सभी तथ्यों में सर्वाधिक दुविधापूर्ण स्थिति विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1017 दिनांक 11.09.13 के द्वारा प्राप्त आधिपत्य वाले ग्रामों में से कुछ ग्रामों की पुनः अधियाचना भेजने की बात को लेकर थी। क्योंकि अगर उल्लेखित पत्र गलत थी तो उक्त पत्र के द्वारा प्राप्त सभी अधिपत्य गलत होनी चाहिए थी। किन्तु ऐसा नहीं था। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी लापरवाही सरकरी राजस्व का मामला बना सकता था। जो कि स्थलीय जाँच के दौरान ग्रामीणों से प्राप्त धाराओं के नोटिस से प्रमाणित भी हुआ। बैठक के दौरान मुख्य अभियंता महोदय एवं अन्य वरीय पदाधिकारी गण भी उपस्थित थे। मेरे द्वारा मात्र सही तथ्यों को रखते हुए उपर्युक्त समस्या के निराकरण का प्रयास शिष्ट तरीके से किया जा रहा था। मेरे द्वारा किसी प्रकार का उदण्डापूर्वक व्यवहार नहीं किया गया। अगर ऐसी कोई बात होती तो मुख्य अभियंता एवं अन्य के द्वारा संज्ञान लिया जाता। अतएव आरोप से मुक्त किया जाय।

(iii) मेरे द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेश के अनुरूप सरकारी कार्यों को कर्त्तव्यनिष्ठ होकर नियमानुकूल तरीके से अनुशासित रूप से किया गया है। साथ ही कर्त्तव्य के प्रति कोई लापरवाही नहीं बरती गयी है जो कि उपर्युक्त उल्लेखित तथ्यों से स्पष्ट है। अतएव आरोप से मुक्त किया जाय।

श्री भगत, कार्यपालक अभियंता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी । समीक्षोपरान्त श्री भगत से प्राप्त स्पष्टीकरण पर तत्कालीन मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर, श्री ओम प्रकाश अम्बरकर से मंतव्य की माँग की गयी। जिसके आलोक में तत्कालीन मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने पत्रांक 171 दिनांक 28.03.16 द्वारा मंतव्य विभाग में समर्पित किया गया। जिसमें निम्न बातें कही गयी हैः–

निदेशक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा भू–अर्जन कार्यों की समीक्षा की प्रति मुझे भी उपलब्ध करायी गयी। मैं समीक्षा की कार्यवाही से बहुत हद तक सहमत हूँ। लेकिन यह स्थिति परिस्थितिजन्य के कारण उत्पन्न हुई थी। जिसमें कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, रून्नीसैदपुर को कुछ बिन्दुओं पर संशय/Confusion था। जिसे वह दूर करना चाहते थे। लेकिन वह संशय भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा दूर नहीं किया जा रहा था। उस संशय को दूर करने हेतु निदेशक, भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा भी S.L.O. (विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर) को निदेशित भी किया गया। इसके बावजूद भी श्री भगत, कार्यपालक अभियंता का व्यवहार व्यवहारिक नहीं था। जिसे परिस्थितिजन्यता माना जा सकता है। विदित हो कि मेरे एवं उक्त बैठक में उपस्थित सभी अन्य पदाधिकारी के द्वारा भी श्री भगत, कार्यपालक अभियंता, रून्नीसैदपुर के व्यवहार को सही नहीं माना गया। कार्यपालक अभियंता, रून्नीसैदपुर को शालीनतापूर्वक अपनी बात रखने की बात कही गई जिसपर बाद में उनके द्वारा भी शिष्ट तरीके से अपनी बातों को रखा गया।

श्री भगत से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उस पर श्री अम्बरकर, तत्कालीन मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गयेः–

श्री भगत, कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध गठित प्रपत्र 'क' में मुख्य रूप से आरोप वरीय पदाधिकारियों के साथ अशिष्ट एवं अशोभनीय व्यवहार प्रदर्शित करने का है जिस पर तत्कालीन मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर का यह मंतव्य है कि श्री भगत का यह आचरण परिस्थितिजन्य था क्योंकि भू–अर्जन से संबंधित कुछ बिन्दुओं को लेकर संशय की स्थिति थी जिसे श्री भगत बैठक में दूर करना चाहते थे। एक सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसा व्यवहार न करें जो अशोभनीय हो। श्री भगत बैठक में अपनी बातों को शिष्ट तरीके से भी रख सकते थे। तत्कालीन मुख्य अभियंता का भी यह मंतव्य है कि श्री भगत का व्यवहार अव्यवहारिक था। समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा प्रमाणित आरोपों के लिए श्री अम्बिका प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता को 'चेतावनी देने तथा इसकी प्रविष्टि सेवापुस्त में करने' का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय श्री अम्बिका प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता को 'चेतावनी निर्गत करते हुए इसकी प्रविष्टि सेवापुस्त में की जाएगी' संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 563-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in